रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, सोमवार, 7 अप्रैल, 1986/चैत्र 17, 1908
No. 175] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 1986/CHAITRA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1986

सं. 237/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 607(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा

करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधि-सूचना सं. 57/85-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, —

(1) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"9. पारा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लेसीन ।"

(2) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"10. साइनोपारेजीन ।"

(3) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्न-लिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"13. डी एल—आक्सीफ्लोन हाइड्रोक्लोराइड ।"

[फा. सं. 355/66/86-सीमाशुल्क-1]

एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1986

No 237|86-CUSTOMS

G.S.R. 607 (E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 57|85-Customs, dated the 17th March, 1985, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(i) for Sl. No. 9 and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be substituted, namely :—

"9. Para Hydroxy Phenyl Glycine."

(ii) for Sl. No. 10 and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be substituted, namely :—

"10. Cyanopyrazine."

(iii) for Sl. No. 13 and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be substituted, namely :—

"13. DL-Oxyphone Hydrochloride."

[F. No. 355|66|86-Cus-I.]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986